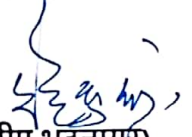


फाइल संख्या आर-11016/01/2020-पी0एण्ड सी0
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 17 अप्रैल, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2020 माह के मासिक सारांश - के सम्बन्ध में।

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में मार्च, 2020 माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।


(प्रदीप भटनागर)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष नं० 23389327

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

मार्च, 2020 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाप इस प्रकार है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

विभाग ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने और उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विविध उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- 1.1 दिनांक 13/03/2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1087 (अ) के माध्यम से मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) तथा हैंड सैनिटाइजर को दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि तक आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल किया गया।
- 1.2 दिनांक 19/3/2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1169 (अ) के माध्यम से हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले एल्कोहल की कीमतों को विनियमित किया गया।
- 1.3 दिनांक 21/03/2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1197 (अ) में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नॉन वोवन फेब्रिक एवं हैंड सैनिटाइजर की कीमतें निर्धारित की गईं।
- 1.4 दिनांक 13.3.2020 के अ.शा. पत्र में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से मास्क और सैनिटाइजर की जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
- 1.5 कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि की कीमतों को निर्धारित करने सहित उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 17.03.2020 को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया।
- 1.6 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों की निगरानी के लिये दिनांक 20.03.2020 को एक आपातकालीन समीक्षा बैठक हुई।
- 1.7 मास्क की उपलब्धता पर दिनांक 24.03.2020 को एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई।

2. कोविड-19 से संबंधित अन्य उपाय:

- 2.1 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा सुलभता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 12.03.2020 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक मापविज्ञान नियंत्रकों से मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि पर अधिक कीमत वसूली को रोकने का अनुरोध किया गया।
- 2.2 आवश्यक वस्तुओं तथा दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की दैनिक आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विभाग में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
- 2.3 दिनांक 20.03.2020 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (भंडारण तथा लॉजिस्टिक सुविधा तथा सेवा), थोक विक्रेताओं, इनके वेंडरों तथा तृतीय पक्ष डिलीवरी पार्टनरों को किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित आदेशों से छूट देने की सलाह दी गई।
- 2.4 कोविड-19 से संबंधित मामलों के लिए एक समर्पित jagograhakjago.in/covid19/ वेबसाइट बनाई गई।

3. दालों और प्याज का बफर स्टॉक:

3.1 माह के दौरान "प्रमुख दालों की अधिप्राप्ति के लिये शेल्फ लाईफ, सुरक्षित भंडारण, मिलिंग आउट-टर्न और सांकेतिक मानदण्ड हेतु प्रोटोकॉल के विकास" पर अध्ययन की प्रगति की समीक्षा के लिये आईसीएआर-सीआईपीएचईटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई।

3.2 माह के दौरान दिनांक 11.03.2020 को पुनर्गठित पीएसएफएम की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समिति ने तेलंगाना और कर्नाटक प्रत्येक से पीएसएफ के तहत 1 लाख मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति के निर्णय की पुष्टि करने के साथ-साथ अभावग्रस्त मौसम के दौरान वितरण के लिये, यथासंभव सीमा तक, प्रसंस्करण के बाद भंडारण और वैज्ञानिक रूप से भंडारण के संबंध में उचित रूप से विचार करते हुए नेफेड द्वारा 50,000 मीट्रिक टन प्याज के बफर के निर्माण की सिफारिश की है।

3.3 माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 03.03.2020 तथा 23.03.2020 को सचिवों की समिति की दो बैठकों का आयोजन किया।

3.4 माह के अंत तक पीएसएफ के तहत 35,857 मीट्रिक टन आयातित प्याज का वितरण किया गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा इत्यादि को वितरण की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, नीलामी के माध्यम से भी वितरण किया गया। प्याज की कीमतों में नरमी लाने के लिये मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार और नेफेड को आयातित प्याज की खुदरा बिक्री करने का सुझाव दिया गया।

3.5 माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिये आईएमसी की बैठक आयोजित की गई।

3.6 दिनांक 28.03.2020 को ईएफसी की बैठक में कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को कम करने के लिये कोविड-19 के प्रति आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रस्तावों पर विचार तथा अनुमोदन दिया गया। उपरोक्त पैकेज में अन्य के साथ-साथ गरीबों को प्रोटीन की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन माह तक प्रत्येक परिवार को मूंग, तूर, चना, उड़द जैसी एक किलोग्राम दालों का आबंटन करना शामिल है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से नियम 12 के तहत अनुमोदन प्राप्त किया है।

4. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		फरवरी, 2020 (अनन्तिम)	जनवरी, 2020 (अनन्तिम)	फरवरी, 2019 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक # (वार्षिक)	2.26	3.10	2.93
2	थोक मूल्य सूचकांक # (खाद्य वस्तुएं)	7.79	11.51	4.21
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)	6.84	7.49	6.97
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (संयुक्त)*	6.58	7.59	2.57
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)*	10.81	13.63	-0.73

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

5. फरवरी, 2020 माह की तुलना में, मार्च, 2020 माह के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासं सूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

6. श्री एम. के. सेमवाल (आई.आर.एस.ई.ई.:1992) ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में संसूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य - पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और फरवरी, 2020 माह की तुलना में, मार्च, 2020 माह के मासिक औसत खुदरा मूल्य नीचे दिये गये हैं :-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	मार्च, 2020 (अद्यतन)	फरवरी, 2020 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	33	34	-1
2	गेहूं	29	29	0
3	आटा	30	30	0
4	चना दाल	65	66	-1
5	तूर दाल	87	87	0
6	उड़द दाल	97	99	-2
7	मूंग दाल	99	96	3
8	मसूर दाल	67	68	-1
9	चीनी	39	39	0
10	दूध (प्रति लीटर)	46	45	1
11	मूंगफली का तेल	138	137	1
12	सरसों का तेल	117	118	-1
13	वनस्पति	88	89	-1
14	सोया तेल	98	99	-1
15	सूरजमुखी का तेल	106	108	-2
16	पाम ऑयल	87	90	-3
17	गुड़	46	46	0
18	खुली चाय	217	218	-1
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	23	23	0
21	प्याज़	31	39	-8
22	टमाटर	21	22	-1

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले;

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन : ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' मामलों की संख्या;

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापित नीति से विपथन हुआ है;

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
193	164

6. लोक शिकायतों की स्थिति :

मार्च, 2020 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	मार्च, 2020 माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
659	406

- 7 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

मार्च, 2020 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकियों की कुल संख्या	मार्च, 2020 माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकियों की संख्या
41359	30092

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यतः ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
